


## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1642/2009 .....जिला.....जयपुर.....

उनवान - मैसर्स अनुज ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डी, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.02.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>कैम्प जयपुर</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस.के.जैन ने उपस्थित होकर प्रस्तुत अपील को विद्वान करने का निवेदन किया। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम, 2016 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये इस अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि की प्रार्थना स्वीकार की जाकर अपील संख्या 1642/2009/जयपुर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया</p> <p style="text-align: right;"> 1.2.2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	